तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.25	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री अचालराम थोरी उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता श्री रामदेव गोदारा उपस्थित। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 स्वयं उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा पेश राजीनामा प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दोनो पक्षों के मध्य राजीनामा होने से लोक अदालत की भावना से प्रकरण को निस्तारण करते हुए उपतहसीलदार जसोल द्वारा पारित म्युटेशन संख्या 515 दिनांक 22.10.2010 को निरस्त कर अपीलांट के नाम 1/3 हिस्सा 05 बीघा भूमि दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु उभय पक्षकारान सहमत है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने दौराने बहस कथन किया कि मौजा बोरावास खसरा संख्या 384/129 रकबा 15 बीघा भूमि में से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.10.2010 को अपीलांट ने 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 2 ने 1/3 हिस्सा खरीद की गई। बाद खरीद उक्त म्युटेशन पारित करते वक्त अपीलांट के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं कर, सम्पुर्ण 2/3 हिस्सा रेस्पों संख्या 2 कन्हैयालाल के नाम मानवीय भूलवश दर्ज कर दिया, जबकि वास्तविक 1/3 हिस्सा बराबर 05 बीघा भूमि अपीलांट अशोक कुमार का होना चाहिए था। उक्त आलोच्य म्युटेशन बाबत दोनो पक्षों के मध्य राजीनामा होने से उक्त आलोच्य म्युटेशन का निरस्त कर अपीलांट के नाम 1/3 हिस्सा 05 बीघा भूमि दर्ज करने हेतु उभय पक्षकारान सहमत है, जिससे दोनो पक्षों की सहमति से लोक अदालत की भावना से उक्त आलोच्य म्युटेशन निरस्त करते अपील स्वीकार की जाये। हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि मौजा बोरावास के खसरा संख्या 384/129 रकबा 10 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.10.2010 को अपीलांट अशोक कुमार व रेस्पोडेंट संख्या 2 कन्हैहालाल द्वारा खरीद होना बताया गया, जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के बराबर बराबर हिस्सा होना बताया गया। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न आलोच्य म्युटेशन दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 2 कन्हैयालाल के नाम दर्ज होना पाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित आलोच्य म्युटेशन संख्या 515 दिनांक 31.12.2010 को निरस्त योग्य पाया जाता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की और से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा आलोच्य म्युटेशन संख्या 515 दिनांक 31.12.2010 को जारी किया गया, को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। जिला कलक्टर बालोतरा	